भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 87
गुरूवार, 2 फरवरी, 2023/13 माघ, 1944 (शक)

बेरोजगारी में वृद्धि

87. **श्री के.सी. वेणुगोपालः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिसंबर में बेरोजगारी की दर बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई जो 16 महीनों में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में चयन प्रक्रिया में अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत होता है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 4.8%एवं 4.2% थी जो कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

सरकार विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को लागू कर रही है। एनसीएस परियोजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों के चयन का मानदंड और प्रक्रिया, रोजगार में भाग लेने वाले नियोक्ता से नियोक्ता भिन्न-भिन्न होती है और अब तक इस मंत्रालय को इस संबंध में कोई अस्पष्टता या भ्रम की सूचना नहीं मिली है।

*****